प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.05.2025

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ट्रान्सपोर्टरों से धोखाधडी करने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से घटना मे प्रयुक्त ट्रक, धनिया से भरे हुए 366 बोरे (कीमत करीब 15 लाख रू0) व 5,38,000/- रू0 नगद बरामद

दिनाँक-02/05/2025 को रामगंजमण्डी जनपद कोटा राजस्थान के कृषि उपज मण्डी से श्री शिवभगवान अग्रवाल द्वारा सांवलिया ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से अपना 30,150 किलोग्राम धनिया जिसकी कीमत करीब 27,38,549 रू0 थी को शीतल ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से ट्रक संख्या- आर0जे0 27 जी0सी0 5566 मे लोड करवाकर गुवाहाटी असम के लिए भेजा गया था परन्तु उक्त ट्रक माल को लेकर गुवाहाटी असम नही पहुँचा, इस पर श्री शिवभगवान अग्रवाल द्वारा उक्त ट्रक ड्राईवर व उसके मालिकान द्वारा अपना माल गायब करने के सम्बन्ध में थाना रामगंज मण्डी कोटा में दिनाँक-18/05/2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवचना के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी तथा इस ट्रक के गाजियाबाद तक आने की जानकारी हुई, इस पर राजस्थान पुलिस द्वारा क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद को उक्त अभियोग के बावत सूचना देते हुए बताया गया कि उक्त ट्रक जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी गाजियाबाद के पास तक जाने की जानकारी मिली है।
उपरोक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद ने इलैक्ट्रोनिक सर्विलॉस, सीसीटीवी फुटेज व लोकल मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए उक्त ट्रक के बारे मे जानकारी की जिसके क्रम मे आज दिनाँक-27/05/2025 को उक्त ट्रक जिस पर एचपी 38 एच 0357 की नम्बर प्लेट लगी थी को थानाक्षेत्र मधुबन बापूधाम से बरामद करते हुए **धनिया के भरे 366 बोरे** सहित 02 अभियुक्तों अवनीश त्यागी व कपिल त्यागी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है तथा उक्त धनिया के अन्य बोरों को बेचने से प्राप्त **कुल 5 लाख 38 हजार रूपये नगद** बरामद किया है।
पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त अवनीश त्यागी ने बताया कि वह एमए तक पढा हुआ है पढाई के बाद उसने रघुवीर ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से एक फर्म बनाई थी जो वर्ष 2019 मे बन्द हो गयी थी उसके बाद अभियुक्त अवनीश त्यागी ने एक ट्रक ऑल इण्डिया परमिट का अपने नाम से खरीद लिया जिसको अलग-अलग ट्रान्सपोर्टरों से सम्पर्क कर उनका माल भेजने कर किराया लेने लगा लेकिन उसमे ज्यादा फायदा नही हो रहा था इसी बीच अवनीश की मुलाकात भगवानपुर राजस्थान के रहने वाले हरीश नाम के ट्रक ड्राईवर से हुई जो इसका ट्रक चलाने लगा। दोनो ने मिलकर यह प्लान बनाया कि गाडी का नम्बर व अपना नाम बदलकर दूर-दराज के ट्रान्सपोर्टरों से माल लोड करेंगे और उस माल को गन्तव्य स्थान पर ना पहुँचाकर कही और बेच देंगे तथा अपना फोन व नम्बर बदल देंगे जिससे कोई इनको तलाश न कर सके। इससे पहले भी यह लोग ये काम कर चुके है। अभियुक्त कपिल त्यागी ने बताया कि उसने 10वीं पास करने के बाद पढाई छोड दी और खेती करनी शुरू कर दी और खेती करने के साथ-साथ बैजनाथपुर शुगर मिल जनपद-बुलन्दशहर मे नौकरी करता था जिसमे 14,000 रू0 मिलते थे जो काफी कम थे, इसी बीच इसकी मुलाकात हरीश ड्राईवर से हुई और यह उसके साथ ड्राईविंग करने लगा।

दिनाँक-05/05/2025 को प्लान के मुताबिक अवनीश , हरीश व कपिल त्यागी ने रामगंज मण्डी कोटा से ट्रक पर राजस्थान का फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर 666 बोरे धनिया लोड की थी जो इनको गुवाहाटी असम पहुँचाना था परन्तु ये लोग उस माल को असम न ले जाकर गाजियाबाद ले आये और इन्होने अपने-अपने फोन पहले ही बन्द कर दिये तथा ट्रक का नम्बर बदलकर उस पर हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नम्बर की फर्जी प्लेट लगा लिया। हरीश ने अपने पुराने सम्पर्क में करीब 300 बोरे धनिया 9 लाख 38 हजार रू0 में सस्ते दामों मे बेच दिया जिनको हरीश ही जानता है और 04 लाख रूपये हरीश लेकर चला गया तथा 5 लाख 38 हजार रू0 अवनीश त्यागी व कपिल को दे दिये। अवनीश त्यागी व कपिल बचे हुए माल को बेचने के लिए पार्टियों की तलाश कर रहे थे इसी बीच माल सहित गिरफ्तार हो गये। फरार अभियुक्त हरीश की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अवनीश त्यागी पुत्र सुभाष त्यागी निवासी प्लॉट न0-26 मेघराज इन्कलेव गोविन्दपुरम गाजियाबाद मूल पता- ग्राम कालन्द थाना सरधना जनपद-मेरठ उम्र करीब 44 वर्ष

2.कपिल त्यागी पुत्र रवि त्यागी निवासी म0न0-361 इन्द्रगढी थाना कोतवाली हापुड शहर जनपद-हापुड उम्र करीब-34 वर्ष

बरामदगी:-

1.धनिया से भरे बोरे कुल 366 (प्रत्येक बोरे मे 45 किलोग्राम धनिया कीमत करीब 15 लाख रू0)

2.नगदी- 05 लाख 38 हजार रूपये

3.धनिया से भरा 14 टायर ट्रक

4.ट्रक पर लगी फर्जी नम्बर प्लेट- एचपी 38 एच 0357

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त अवनीश त्यागी के विरूद्ध राजस्थान में 01 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त कपिल त्यागी के विरूद्ध राजस्थान में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वॉट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना रामगंज मण्डी जनपद-कोटा राजस्थान पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस/ स्वाट टीम देहात द्वारा हत्या में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार

आज दिनांक 26/ 5/ 2025 को थाना मसूरी पर हत्या में वांछित चल रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियुक्तों की तलाश में ग्राम नाहल से जंगलों की तरफ जाने वाले रास्ते पर dme अंडरपास के पास अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु स्वाट टीम देहात के साथ मिलकर अभियुक्त गणों की पतारसी सुराग रसी /चेकिंग की जा रही थी तभी दूर से एक बाइक आती दिखाई दी पुलिस पार्टी द्वारा बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार व्यक्तियों ने बाइक को नहीं रोका ओर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए बाइक पीछे मोड़कर भागने लगे इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी जिससे घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया दोनों से नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम नन्हू व अब्दुल सलाम निवासी नाहल बताया दोनों अभियुक्त गण मसूरी से हत्या मे वांछित चल रहे हैं।

पूछताछ का विवरण पकड़े गए दोनों अभियुक्तो ने बताया कि कल दिनांक 25 मई 2025 को रात्रि में नोएडा से दबिश हेतु आई पुलिस टीम पर फायर एवं पथराव की घटना की थी

अभियुक्त गण का विवरण

1- नन्हू पुत्र इलियास निवासी नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2-अब्दुल सलाम पुत्र अबरार निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अभियुक्त गणों से बरामदगी

दो तमंचा 315 बोर दो खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस 315 बोर व एक बाइक स्पलेंडर

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम देहात

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दबिश देने आयी टीम पर फायर करने वाले 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कल दिनांक 25.05.2025 समय 23.00 बजे के लगभग थाना फेस-03 ग्रेटर नोएडा कमि0 गौतमबुद्धनगर से उ0नि0 सचिन राठी मय हमराहीगण उ0नि0 उदित सिंह , उ0नि0 निखिल , का0 सचिन , का0 सौरभ , का0 सन्दीप कुमार , का0 सोनित के साथ मु0अ0स0-211/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर में वाछित अभियुक्त कादिर पुत्र खुर्शेद उर्फ खुर्शीद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु ग्राम नाहल मे आये थे। पुलिस टीम द्वारा कादिर पुत्र खुर्शेद उपरोक्त को दबिश देकर पकड लिया। लोग इकट्ठा हो गये और उग्र होकर पुलिस पर पथराव व फायरिंग कर दी। जिसमें का0 सौरभ के सिर में गोली लगी और उसके साथ में का0 सोनित भी घायल होकर मौके पर गिर गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में उ0नि0 सचिन राठी थाना फेस-03 नोएडा कमि0 गौतमबुद्धनगर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त कादिर व अन्य के विरुद्ध मु0अ0स0-152/25 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/131/ 125/ 121(2) / 132/ 109(1)/ 103(1)/ 61(2) /50/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु अलग – अलग टीमों का गठन कर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस मुठभेड़ में 02 अभियुक्तगण 1. अब्दुल सलाम पुत्र अबरार निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद 2. नन्नू पुत्र इलयास निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा 02 अभियुक्त गण 1. मुशाहिद पुत्र महराज निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद हाल पता ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद 2. अब्दुल खालिक पुत्र महमूद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को नीले पुल गंगनहर की पटरी से गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 05 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण -

1-कादिर पुत्र खुर्शेद उर्फ खुर्शीद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2-अब्दुल सलाम पुत्र अबरार निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

3-नन्नू पुत्र इलयास निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

4-मुशाहिद पुत्र महराज निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद हाल पता ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

5-अब्दुल खालिक पुत्र महमूद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त कादिर व अन्य ने पूछने पर बताया गया कि कादिर पहले भी कई बार जेल जा चुका है पुलिस की गिरफ्तारी से बचने हेतु दविश देने आयी नोएडा पुलिस पर पथराव व फायरिंग हो गई थी जिसमें एक सिपाही की गोली लगने से मृत्यु हो गयी तथा अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गये थे।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

1-कादिर पुत्र खुर्शेद उर्फ खुर्शीद उपरोक्त के विरुद्ध कुल 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

2- अब्दुल सलाम उपरोक्त के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत है।

3- नन्नू उपरोक्त के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत है।

4- अब्दुल खालिक उपरोक्त के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत है।

5-मुशाहिद उपरोक्त के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 26.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. गोपाल पुत्र मनोहर लाल निवासी गाजीपुर मण्डी दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष 2. मोहित पुत्र सतीश निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली में चोरी का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटा पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम आपस में एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं हम दोनों मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं। यह मोटरसाइकिल हमने दिल्ली से चोरी की थी। हम इस चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.गोपाल पुत्र मनोहर लाल निवासी गाजीपुर मण्डी दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष।

2.मोहित पुत्र सतीश निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग व थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का वाहन बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-02)

अभियुक्त मोहित के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी/बरामदगी के संबंध में 03 अभियोग व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-04)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी पिस्टल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 27.05.2025 को थाना मोदीनगर पर डायल–112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का अपने घर के बाहर पिस्टल लिये हुए खडा है। इस सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर ग्राम खंजरपुर से अभियुक्त यश उर्फ सन्नी पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को 01 अवैध देशी पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मुझे नशे का शौक पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता पडती थी और मैं अपने पिता से पैसा माँगता था तो वह मना कर दिया करते थे। जिस कारण मैंने अपने पिता से पैसा लेने के लिए उनको डराने हेतु इस पिस्टल को लाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यश उर्फ सन्नी पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 देशी अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।